छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक / 2102 / 167 / विज्ञापन / 2013 रायपुर, दिनांक **22 / 11 / 2014**

:: शुद्धि पत्र ::

शुद्धि पत्र क्र. 08/2014/परीक्षा/दिनांक 22/11/2014

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय एवं फिजियोथेरेपी महाविद्यालय के विभिन्न 568 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 09 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 25.07.2014 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 06 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 01.08.2014 जारी किया गया है।

(2) आयोग द्वारा प्रकाशित उपर्युक्त विज्ञापन के तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से पदों एवं आवश्यक अर्हताओं में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तद्नुसार आयोग द्वारा पूर्व में जारी उपरोक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

(i) विज्ञापन की कंडिका–(1) की तालिका के सरल क्रमांक (11) **रेसीडेन्ट (दंत चिकित्सा महाविद्यालय), कन्जरवेटिव डेन्टिस्ट्री एंड एंडोडोन्टिक्स** में 01 पद अनुसूचित जनजाति हेतु जोड़ा जाता है।

(ii) विज्ञापन की कंडिका–(1) की तालिका के **सरल क्रमांक (08) सहायक प्राध्यापक (दंत चिकित्सा महाविद्यालय)** को निरस्त किया जाता है।

(iii) विज्ञापन की कंडिका–(2)(D) **सीनियर रजिस्ट्रार (चिकित्सा महाविद्यालय)** के Academic Qualification में "MBBS" के स्थान पर **"MBBS with 3 years teaching experience."** संशोधित किया जाता है।

(iv) विज्ञापन की कंडिका–(2)(F) **सीनियर रेसीडेन्ट (चिकित्सा महाविद्यालय)** के Academic Qualification में "MBBS" के स्थान पर **"MBBS with 3 years teaching experience."** संशोधित किया जाता है।

(v) विज्ञापन की कंडिका–(2)(F) **सीनियर रेसीडेन्ट (Dentistry) (चिकित्सा महाविद्यालय)** के Academic Qualification में "MBBS" के स्थान पर **"BDS with 3 years teaching experience in a Dental College/Institution."** संशोधित किया जाता है।

(vi) विज्ञापन की कंडिका–(2)(N) **सहायक प्राध्यापक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय)** में "Registration in Chhattisgarh State Council" के स्थान पर **"Registration in Chhattisgarh State Council or Chhattisgarh State Paramedical Council."** संशोधित किया जाता है।

(vii) विज्ञापन की कंडिका–(2)(O) **प्रदर्शक (फिजियोथेरेपी महाविद्यालय)** में "Registration in Chhattisgarh State Council" के स्थान पर **"Registration in Chhattisgarh State Council or Chhattisgarh State Paramedical Council."** तथा "Registration in Rehabilitation Council of India" के स्थान पर **"Registration in Rehabilitation Council of India or Chhattisgarh State Paramedical Council."** संशोधित किया जाता है।

(viii) सहायक प्राध्यापक (चिकित्सा महाविद्यालय) / सहायक प्राध्यापक (क्लिनिकल मेडिकल विषय) (दंत चिकित्सा महाविद्यालय) / सहायक प्राध्यापक (नॉन क्लिनिकल मेडिकल विषय) (दंत चिकित्सा महाविद्यालय) हेतु **"जो अभ्यर्थी डी.एन.बी. के साथ एक वर्ष रिसर्च का अनुभव रखते हैं, उन्हें एम.एस. / एम.डी. के समतुल्य माना जाएगा।"**

(ix) विज्ञापन की कंडिका–(2)(A)(x) **सहायक प्राध्यापक, मेडिकल फिजिक्स (चिकित्सा महाविद्यालय)** में (i) Academic Qualifications:- M.D. (P.M.R.)/M.D. (Medicine) with Diploma in PMR/ M.S. (General Surgery)/M.S. (Orthopaedics) with two years special training in the Speciality of Physical Medicine and Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two years of equivalent training approved in the subject in any approved institution in India. (ii) Teaching/Research Experience:- (I) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (II) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor. (iii) They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register **के स्थान पर** "Academic Qualifications:- (i) A basic degree in science from a recognized university with physics as one of the subject; (ii) A postgraduate degree/diploma in Radiological/Medical Physics from a recognized university; (iii) Three years teaching/research experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor" संशोधित किया जाता है।

(3) आयोग द्वारा जारी उपरोक्त संशोधन के आधार पर या संबंधित पद हेतु अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी जो आवेदन नहीं कर पाये हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की अर्हता एवं पदों के अनुसार आवेदन किए हैं वे संशोधित अर्हता एवं पद के अनुसार अपना ऑनलाइन आवेदन सुधार कर सकते हैं। **ऑनलाइन आवेदन दिनांक 03 / 12 / 2014 मध्यान्ह 12:00 बजे से 23 / 12 / 2014 रात्रि 11:59 बजे तक एवं त्रुटि सुधार दिनांक 24 / 12 / 2014 मध्यान्ह 12:00 बजे से 30 / 12 / 2014 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा।**

(4) आयोग द्वारा प्रकाशित इस शुद्धि पत्र में उल्लेखित संशोधन के अतिरिक्त विज्ञापन क्रमांक 09 / 2014 / परीक्षा / दिनांक 25.07.2014 प्रकाशन दिनांक 30.07.2014 की शेष शर्तें / कंडिकाएं यथावत रहेगी।

सही / –
सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर